

From-I

(For linear projects)

Government of India office of the District Collector Pauri Garhwal

No. संख्या - १३/४-फवो डो आ- (२०१९-२०) दिने १५/१०/१९ Date १३/१०/२०१९
१५/१०/२०१९

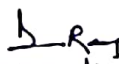
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No 119/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF Issued Guidelines on submission of Evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of rights) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the Forest land Proposed to be diverted for non -forest purposes read with MoEF's Letter Dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is Certified that **42.076** of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Division Dhumakot for National Highway Kotdwara to Satpuli road in Pauri Garhwal District.

It is Further Certified that :

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been Carried out for the entire **42.07** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forests Rights committee (s), Gram Sabha (s) sub division level Committee and the district level Committee are enclosed as annexure
- b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it ;
- c. The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl: As above.


(Sh. D.S. Garhiyal)

(District Collector, Pauri Garhwal)

जिलाधिकारी
गढ़वाल

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of India
Office of the District Collector Pauri Garhwal

Dated. 15/04/19

No./RB/DESK//4/3-B/RR/925

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land processed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified then **42.076 H** of forest land proposed to be diverted in favour of National Highway Authority of India for project of Kotdwara to Satpuli road (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal falls within jurisdiction of **Amsod to Ghoom Village, palitali, Palinali, Bhayansu, Garkot, Badhalikhal** in Pauri Garhwal district.

It is further certified then ;

- a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **42.076 H** of forest land proposed for diversion A copy of record of all consultation and meeting of the Forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure II
- b) The proposal for such Diversion (with full Details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- c) The each of Concerned of Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ process under the FRA have been carried out that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the processed diversion A copy of certificate issued by the Gram Sabha **Amsod to Ghoom Village, palitali, Palinali, Bhayansu, Garkot, Badhalikhal** village(s) is enclosed as annexure II.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the member of Gram Sabha present .
- e) The diversion of Forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA completed and the Gram Sabha have giving their consent to it.
- f) The right of primitive tribal Group and Pre-Agricultural Communities. where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

(Sh. D.S. Garhwal)

(District Collector, Garhwal)

**जिलाधिकारी
गढ़वाल**

**OFFICE OF THE DEPUTY
COMMISSIONER DISTRICT PAURI (U.K)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) .2006.

A meeting of the district level committee of Pauri district , constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. D.S Garbiyal Deputy Commissioner Pauri Garhwal on dated 05/09/2019 at time 5:40... at Pauri in which application claim in rights in 42.076.49. area measuring Hect for the construction of Pauri forest land under FRA.2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pauri and Srinagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection / and claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose .

Place : Pauri

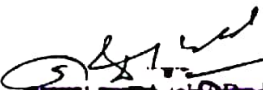
Dated: 05/09/2019

D. S. Garbiyal
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level Committee

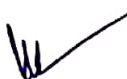
जिलाधिकारी
गढ़वाल

It is further certified that minutes of construction of national Highway – 119 (534) Km. 139+00 To 196+00 (Kotdwar to Satpuli) at Kotdwar, Pauri-Garhwal F.R.A. is as following :-

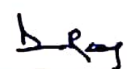
Sr. No.	Particular	Remarks
1	The completed process of identification and settlement of right under the F.R.A. had been carried out for the entire 42.076 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub divisional level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
2	The division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the F.R.A. have been completed and the Gram Sabhas have been give consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid construction of highway is attached.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribe group and pre agriculture communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


जिला मुख्यालय अधिकारी,
जिला मंत्रालय, पौड़ी गढ़वाल


21/9/19
District Social Welfare Officer
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल


Divisional forest officer
kotdwara


Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड ला. नि. वि.
मुक्तेश्वर (पौड़ी गढ़वाल)


Deputy Commissioner
Pauri Garhwal

जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक 15/10/2019 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं उच्च परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिलास्तरीय की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1. सर्व श्री वीरगोविन्द गर्गा जिलाधिकारी गढ़वाल अध्यक्ष जिलाधिकारी
गढ़वाल
2. अश्विनेश तिवारी प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कोटद्वार सदस्य
3. किशोर जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य जिला समाज कल्याण आ.
पौड़ी गढ़वाल
4. सतीश कुमार श्वेतवाल अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी सदस्य अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल

बताया गया है कि कोटद्वार तहसील में कोटद्वार से सतपुली मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गों हेतु उप-स्तरीय समिति वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यावाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं।

मार्गों का विवरण निम्नवत है—

1. जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग -119 कोटद्वार से सतपुली मोटर मार्ग के अन्तर्गत मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 57 कि०मी० है। इस मोटर मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र 13.147 हे०, सिविल एवं सोयम वन क्षेत्र 9.150 हे०, वन पंचायत वन क्षेत्र 1.170 हे० तथा मेलवा/गिला भूमि 10.609 हे० प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि पर कोई आदिवासी/जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से आमसौर, दुगड्डा, भयॉसू, पाली मल्ली, तल्ला मल्ली खुन्दोली, गुमखाल, कुल्हार, सतपुली मल्ली, लाभान्वित होंगे। इन गांवों को जोड़ने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2007 के अर्न्तगत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त कोटद्वार से सतपुली मोटर मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र 13.147 हे० तथा सिविल एवं सोयम वन क्षेत्र 9.150 हे०, वन पंचायत वन क्षेत्र 1.170 हे० तथा ~~मलवा निम्न भूमि~~ 18.609 हे० भूमि राष्ट्रीय राज्य-मार्ग को खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया है।

(
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
गढ़वाल

॥ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० धुमाकोट ॥

पत्रांक..... दिनांक 15/05/19

प्रतिलिपि :-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग लैन्सडौन, कोटद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

Executive Engineer
N.H. Division P.W.D.
Dhruv

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
धुमाकोट

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि०मी० 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अन 2-16 ईत



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम - देवलवाय !



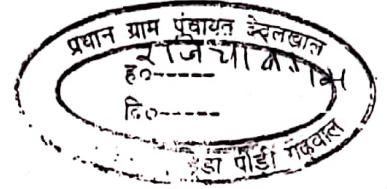
ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

७/१२ - देवलवाल, २५५४



ह0/-

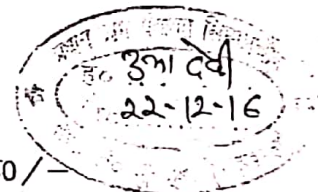
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राह- सिमल-पौड़ा



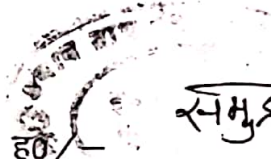
ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प:- पाली वरुण, पाली मल्ल-

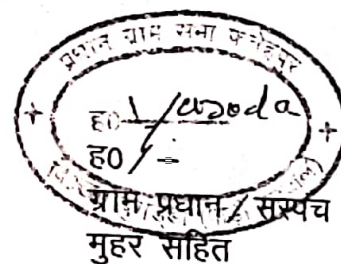

ह0/- समुद्र सिंह
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अभि : फलेहगुल



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम - गहड, बैरगाँव



ह0/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्राकल्प - 22 21

Name Of Project :- Kotdwara-Satpuli-Jwalpa-Srinagar section (from km 139.000 to km 276.000) of NH-119 in the state of Uttarakhand (Package no: SP/A/3).

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 119 के कि०मी० १३२ से २७६ (अगरोडा - पौड़ी - श्रीनगर) के दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु जो वन हटि स्वामि भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-

प्रधान/सरपंच

मोहर

र सपंच

वन पंचायत उफल्डा
पौड़ी गढ़वाल

15-09-04

प्रधान राज पंचायत
उफल्डा
पौड़ी गढ़वाल

प्रधान राज पंचायत
पौड़ी गढ़वाल
15-9-14

15/9/14

पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई बाधा नही है।

ग्राम :- आमसोई, मिलेंच, चोपरा !

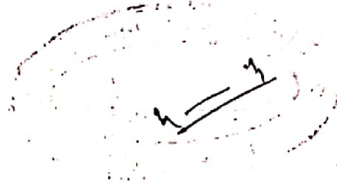


परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम = वादकोट



ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम = कुल

ह0/-
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम - गूम, हैवुल,



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो लेन सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम, कोटद्वार



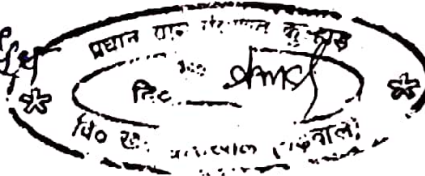
ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

रियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग- 119 के कि0मी0 139.00 से 196.00 तक कोटद्वार-सतपुली के दो सड़क चौड़ी करण हेतु जो वन वृक्ष एवं भूमि का अधिकरण हो रहा है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम :- कुल्हाड, सतपुली मल्ही, सतपुली
रैतपुर !



ह0/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुल्हास

तहसील हनुमानगढ़ जिला पैरा (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पैरा के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल सोयम भूमि 18.609 हे0, वन पंचायत भूमि 1.170 हे0) अर्थात् कुल 42.076 हे0 वन भूमि का राजस्व वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुल्हास द्वारा दिनांक 29/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुल्हास के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division, Dhumkot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 अर्चना रावत
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम कुल्हास
विभाग हनुमानगढ़

ग्राम पंचायत कुल्हास
दि० 29/12/16
वि० हनुमानगढ़ (गढ़वाल)
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....वादकोट.....

तहसील.....कोटद्वार....., जिला.....झुंझार.....

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

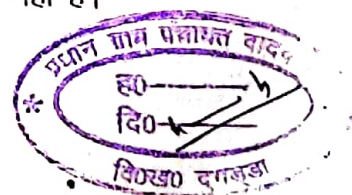
उत्तराखण्ड में जनपद.....झुंझार.....के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार से सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल सोयम भूमि, 18.609 हे0, वन पंचायत भूमि 1.170 हे0) अर्थात् कुल 42.076 हे0 वन भूमि का राजरन्ध्र / वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....वादकोट.....द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....वादकोट.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH- Division Dhuleet प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।


ग्राम प्रधान/सहायक अधिकारी
कोटद्वार तहसील
मुहर सहित



ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....देवलरवाला.....
तहसील.....कोटद्वार....., जिला.....पंजाब (गिरवाला)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....पंजाब.....के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार से सतपुली)
परियोजना के निर्माण हेतु (13.14.7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल सोयम भूमि सकल भूमि
18.609 हे0, वन पंचायत भूमि 1.170 हे0) अर्थात् कुल 42.076 हे0 वन भूमि का राजस्व
वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

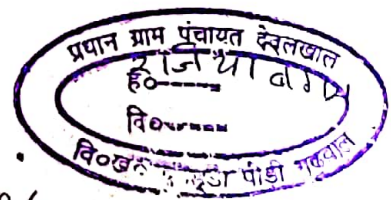
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देवलरवाला द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवलरवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH - Division Phumdest प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 राजेश्वर
ग्रामपंचायत प्रमुख
ग्राम देवलरवाला
तहसील कोटद्वार जिला पंजाब

[Signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र देवलरवाला
जिला-पंजाब गढ़वाल



ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....राहकोट.....

तहसील.....लेन्स डिवीजन..... जिला.....पैर..... (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....पैर.....के अन्तर्गत NH-119, (कोटद्वार से सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.142 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.450 हे0 सिविल सोयम भूमि 18.669 हे0, वन पंचायत भूमि 1.170 हे0) अर्थात कुल 42.076 हे0 वन भूमि का राजमार्ग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....राहकोट.....द्वारा दिनांक 25/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

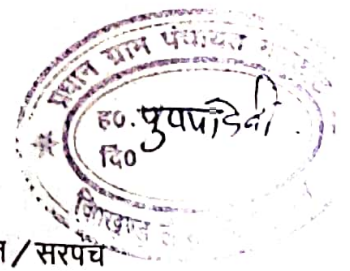
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....राहकोट.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH Division Dhamkot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

Ram
सचिव
ग्राम पंचायत
(मुहर सहित)

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....गुम (लंगूर).....

तहसील.....कोटद्वार..... जिला.....पौड़ी..... (उत्तराखण्ड)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

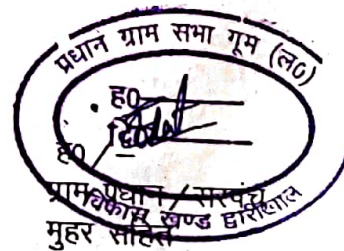
उत्तराखण्ड में जनपद.....पौड़ी.....के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे० आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे० सिविल सोयम भूमि, 10.609 हे०, वन पंचायत भूमि 1.170 हे०) अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का शासन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....गुम.....द्वारा दिनांक 28/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....गुम.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division Dhumkot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- सत्य 28/12/16
ग्राम सचिव
मुहर-सहित



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....आमसोई.....

तहसील.....कोटद्वार.....जिला.....पैर (रा.प्र.प्र.)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

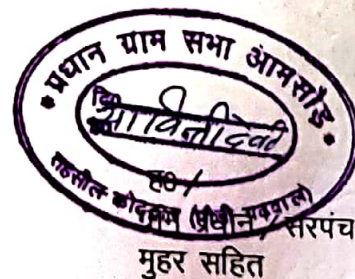
उत्तराखण्ड में जनपद.....पैर.....के अन्तर्गत NH-119 (534) (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल सोयम भूमि, 18.609 हे0, वन पंचायत भूमि 1.170 हे0) अर्थात कुल 42.076 हे0 वन भूमि का राजस्व/अतिरिक्त विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....आमसोई.....द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....आमसोई.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division Dhamkot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Daksh
23/12/16
ग्राम पंचायत अधिकारी
कोटद्वार तहसील
पैर जिला
मुहर सहित



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....अदाली खाल

तहसील.....कोटद्वार जिला.....पैर गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....पैर के अन्तर्गत M.H.-119 (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु 13.74 हे० अरक्षित वन भूमि, 9.150 हे० सिविल सोयम भूमि 4.99 हे०, वन पंचायत भूमि 1.17 हे० अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का राजस्व / वन (ओ.नि.वि.विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....अदाली खाल द्वारा दिनांक 22/12/20 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....अदाली-खाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि M.H.-Division Dhumakol प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित
जिला-पैर गढ़वाल

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....पाल्सी त.ए......

तहसील.....खैरपुर....., जिला.....पंजाब..... (गठवाले)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....पंजाब..... के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे० आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे० सिविल सोयम भूमि, 18.609 हे०, वन पंचायत भूमि 1.170 हे०) अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का रा.जर.व. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....पाल्सी त.ए...... द्वारा दिनांक 24/12/18 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....पाल्सी त.ए...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division, Dharmkot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Salega
ग्राम पंचायत निमित्त सचिव
ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत सचिव
दिनांक

राममुद्रा
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भमोरु
तहसील लेन्सगन जिला पंजाब (राज्य)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पंजाब के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार से सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (1.3.14.7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.1.50 हे0 सिविल सोयम भूमि, 18.609 हे0, वन पंचायत भूमि 1.176 हे0) अर्थात् कुल 42.076 हे0 वन भूमि का राज्य विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

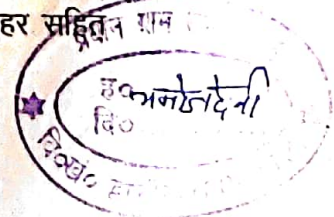
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भमोरु द्वारा दिनांक 30/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भमोरु के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division Shivalik प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- बननी रावत
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित 30/12/16

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....कोटल मंसूर.....

तहसील.....हनुमानगढ़.....जिला.....पिपरी (सतपुली)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....पिपरी.....के अन्तर्गत NH-119 (कोटल से हनुमानगढ़) परियोजना के निर्माण हेतु (1.3.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल सोयम भूमि, 18.609 हे0, वन पंचायत भूमि 1.170 हे0) अर्थात् कुल 42.676 हे0 वन भूमि का राजस्व वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....कोटल मंसूर.....द्वारा दिनांक 25/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....कोटल मंसूर.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुख्य पंचायत क्षेत्र
विकास क्षेत्र

ग्राम पंचायत कोटल मंसूर
हनुमानगढ़ जिला
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....वे.एस. गहड़.....

तहसील.....सतपुली....., जिला.....पैर (ग.स.ग.).....

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....पैर.....के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार से सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे० आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे० सिविल सोयम भूमि, 18.609 हे०, वन पंचायत भूमि 1.170 हे०) अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का राजस्व 97..... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....गहड़.....द्वारा दिनांक 28/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....गहड़.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division-Dharmkot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


हो.....गहड़.....
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
दिनांक 28/12/16


हो.....गहड़.....
ग्राम प्रधान/अध्यक्ष
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....वीरसाल तल्ला.....

तहसील.....सतपुली..... जिला.....पाँड़ी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....पाँड़ी..... के अन्तर्गत NH/119 (km) 139 से 196 (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.0150 हे0 सिविल सोयम भूमि, मलवा निता 18.609 हे0, वन पंचायत भूमि 1.170 हे0) अर्थात् कुल 42.476 हे0 वन भूमि को सर्वोच्च राजस्व विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....वीरसाल तल्ला..... द्वारा दिनांक.....1/12/20..... सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....वीरसाल तल्ला..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division Dhamakot प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
पाँड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....कडुली.....

तहसील.....मुताडुली..... जिला.....गढ़वा.....

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....गढ़वा.....के अन्तर्गत NH-119 कि०मी० 139 से 196 कोटद्वार-सतपुली परियोजना के निर्माण हेतु (.....हे० आरक्षित वन भूमि, 13.147 हे० सिविल सोयम भूमि 9.150 हे०, वन पंचायत भूमि 1.170 हे०) अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का.....राजपुर 97..... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....कडुली.....द्वारा दिनांक 5/4/2016 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....कडुली.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुकाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- आर्य
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कडुली
जिला गढ़वा
चौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 आर्य
जिला गढ़वा
ग्राम प्रधान मुताडुली
मुहर सहित

Page = 23

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सिमल चौड

तहसील कोटद्वार, जिला पैँसी (गडवाल)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पैँसी के अन्तर्गत NH-119(534) कोटद्वार-सतपुली

परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० आरक्षित वन भूमि, 13.147 हे० सिविल सोयम भूमि 9.150

मलवा = 18.67 हे०, वन पंचायत भूमि 1.170 हे०) अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का प्रो. नि. नि. 0

कोटद्वार विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमल चौड द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिमल चौड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division Dhauladhar प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

23/12/16
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
प्रमाणित किया 2020-2021
जिला-पैँसी गडवाल
ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

22-12-16
ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....फतेहपुर.....
तहसील.....कोटद्वार....., जिला.....फतेहपुर.....(G.S. 5415)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

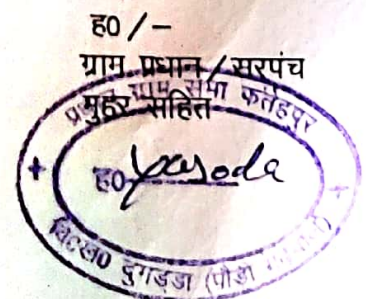
उत्तराखण्ड में जनपद.....फतेहपुर.....के अन्तर्गत NH-119 (कोटद्वार-सतपुली) परियोजना के निर्माण हेतु (13.147 हे० आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे० सिविल सोयम भूमि 18.609 मल मिला 3, 1.170 हे०, वन पंचायत भूमि.....हे०) अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का राजस्व / वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....फतेहपुर.....द्वारा दिनांक 22/12/16 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्ण लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....फतेहपुर.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि NH-Division Division प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

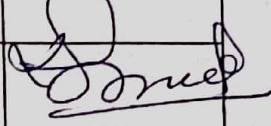
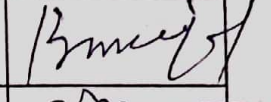
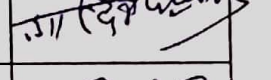
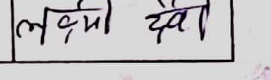
ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र ग्राम सचिव वि० प्र०.....फतेहपुर.....
मुख्य सचिव.....गुगु.....



$$\frac{514.4}{100} = 5.144 \approx 5.1$$

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक.....22/12/16.....को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत.....भवालीरवाला.....

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामचन्द्र प्रसाद डीनिमाल	
2	गुजरादेन डीनिमाल	
3	नट्यीराम	
4	गोविन्द प्रसाद	
5	लक्ष्मी देवी	

ह0/-

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

दिनांक 22/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत आमसोड, तहसील - कोटद्वार, जिला - पंजाब

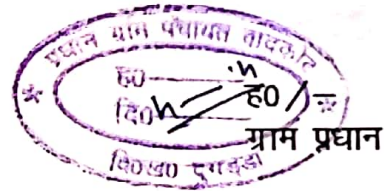
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोहन सिंह	मोहन सिंह
2	कुन्दन सिंह ने ५८	Kund
3	गुणसिंह	गुणसिंह
4	अशोक सिंह	अशोक
5	अमर सिंह	अमर सिंह



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

दिनांक 22/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बादकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री शर्मानंद लोहियाल	शर्मानंद
2	नरिज लाला	Naraj
3	सतीश चन्द लोहियाल	Satish
4	हरीश शर्मा	Hari
5	जगदीश प्रसाद	Jagdish



परिपत्रक ३०.५

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११९ के कि०मी० १३९+०० से १९६+०० (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक २३/१२/१६ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गूम (ल०) (मं०)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	<u>विनोद चन्द</u>	<u>विनोद चन्द</u>
२	<u>Deepak D'sh</u>	<u>Deepak D'sh</u>
३	<u>श्रीधर सिंह</u>	<u>श्रीधर सिंह</u>
४	<u>श्री विरेन्द्र रावत</u>	<u>श्री विरेन्द्र रावत</u>
५	<u>Narendran Singh</u>	<u>नरेन्द्र सिंह</u>



प्रारूप = 30.4

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 23/12/16 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ५९९९९९९९

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मोबिन अहमद	मोबिन
2	अबू रहीम	अबू रहीम
3	अबू अईद	अबू अईद
4	जमीर अहमद	जमीर
5	मोह अहमद	मोह अहमद

ह0/ /
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत देवलखाल
ह0/ /
दि0/ /
मोह अहमद पोडा गढवाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 29/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत रवेरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हर्ष मोहन	हर्ष
2	पुनीत सिंह	पुनीत
3	दिनेश चंद	दिनेश चंद
4	श्री मादेवी	श्री मादेवी
5	पुनीत सिंह	पुनीत सिंह

ह0/-

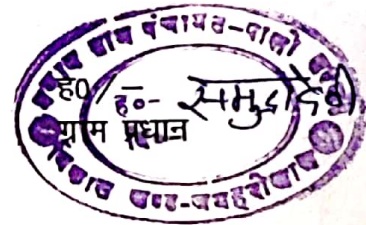
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि०मी० 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक २५/१२/१६ को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पाटली-दाली

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मन्मथ मिश्रा	मन्मथ मिश्रा
2	शिव प्रसाद	शिव प्रसाद
3	सुरेंद्र कुमार	सुरेंद्र कुमार
4	मोहन लाल नेगी	मोहन लाल नेगी
5	वीरेंद्र सिंह	वीरेंद्र सिंह



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

दिनांक 20/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत भोलापुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमोद कुमार	प्रमोद
2	राजिन्द्र राय	राजिन्द्र
3	हरीशंकर शर्मा	हरीशंकर
4	बलराम शर्मा	बलराम
5	मनोहर शर्मा	मनोहर

ह0/-
ग्राम प्रधान

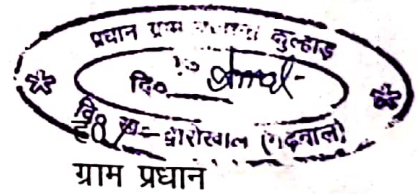


परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक.....29/12/16.....को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत.....कुल्हाड़ा.....

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	राजी देवी जा	राजी देवी
	रामजीत सिंह	रामजीत सिंह
	शारदा	
	जगदीश सिंह	
	पीतम सिंह	पीतम सिंह



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

दिनांक 28/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत 21.65

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्दु गोहल	चन्दु गोहल
2	रतन चन्द	रतन चन्द
3	नाथपणसिंह विह	नाथपणसिंह
4	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
5		

ह0/स.प.स.रीखाल (पैड़ी गल्लावा)
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 22/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत श्रीमल चौक

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	निलो कलिहं	निलो कलिहं
2	हरे कडे	हरे कडे
3	गौरा देवी	गौरा देवी
4	Mandeep Gaurin	Mandeep Gaurin
5	श्री विलास चंड	श्री विलास चंड

हस्ताक्षर
22-12-16
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 5/5/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कटुली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	जाम सतेन्दु	सतेन्दु सिंह
	शिवेनी	शिवेनी
	सुखवीर	सुखवीर
	मेहज्जु सिंह	

हस्ताक्षर
ग्राम प्रधान
कटुली

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 25/12/16 को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कोटद्वार

क्रमांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शिवचरण सिंह	
2	मोहन सिंह	

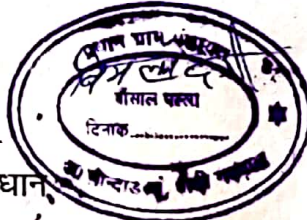


परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 25/12/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पौन्डास तहसील

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जिम कुमार	जिम कुमार
2	शुक्ल कुमार	Mukesh
3	राज प्रकाश	Rami
4	हरी प्रकाश रावत	Hariprakash
5		

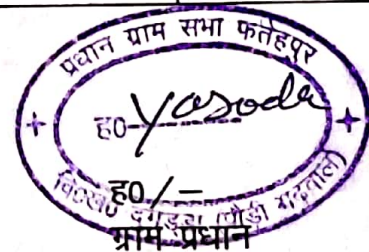
ह0/-
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

दिनांक 22/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत फतेहपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वली मोहम्मद	Mab. Md
2	मनोज कुमार	मनोज कुमार
3	मन्दीरा	मन्दीरा
4	अतीश कुमार	अतीश
5	उमेश चंद्र	Umesh



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, लैन्सडाउन
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, लैन्सडाउन

उपखण्ड लैन्सडाउन परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपस्थित श्री-बी-

पेथमिडि (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम, 4.609 वन भूमि, 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 42.076 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय

राजमार्ग, धुताकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैन्सडाउन) की दिनांक 07/03/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनित तोमर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनीत तोमर उपजिलाधिकारी लैन्सडाउन उप जिलाधिकारी
- 2- श्री रम. के. बहुगुणा उप प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडाउन सदस्य
- Anshul Rathi सहायक समाज कल्याण अधिकारी जयपुरीखान सदस्य
- ममता रावत बी0डी0सी0 क्षेत्र सतपुली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कि.मी.139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु पेथमिडि-प्रस्ताव परियोजना हेतु हे0 वन भूमि राष्ट्रीय

राजमार्ग-119 के कि.मी.139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ीकरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी ले-रन डॉन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ले-रन डॉन परिक्षेत्र के अन्तर्गत श्री कल्याण सिंह परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
देन्सडोव (पट्टवाच)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले-रन डॉन

जनपद- पॉरी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पॉरी (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
देन्सडोव (पट्टवाच)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले-रन डॉन

जनपद- पॉरी (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, सतपुली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सतपुली

उपखण्ड सतपुली परिक्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत 208 3
10.6.09, वन भूमि 1.17 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम 10.6.09, वन भूमि 1.17 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 42.076 हे0 वन भूमि) का 2.11.17
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 07/03/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनिल
तोमर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनिल तोमर उपजिलाधिकारी लै-4.51.37 अध्यक्ष
- 2- श्री एम.के. 9.8.2008 उप प्रभागीय वनाधिकारी लै-4.51.37 सदस्य
- 3- श्री मनि शशी पूजा सहायक समाज कल्याण अधिकारी लै-4.51.37 सदस्य / सचिव
- 4- श्री कुलुम खन्नावल बी0डी0सी0 क्षेत्र लै-4.51.37 सदस्य

सदस्य क्षेत्र पंचायत
चौनासूधार वि० ख० एक उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
2.11.17 119 (कोटद्वार से सतपुली) कि०मी० 139 से 196 के 97 अड़ि पंचायत
परियोजना हेतु सतपुली हे0 वन भूमि राष्ट्रीय

राष्ट्रीय धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डी-एस/१ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डी-एस/१ परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH.1.19 कोटवाल परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि एस/१ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
सुन्दरगढ़ (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- डी-एस/१

जनपद- कोटवाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, डी-१/६९/८ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
सुन्दरगढ़ (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- डी-एस/१

जनपद- कोटवाल

प्राकप = 30.2

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सडक चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, लै-स.स.न.
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, लै-स.स.न.

उपखण्ड - लै-स.स.न.

परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड स्थिति की-
18.609 वन भूमि 1.170 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम मसग
राजमार्ग, धुनाको प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लै-स.स.न.) की दिनांक 07/03/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनित
लोमर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनित लोमर उपजिलाधिकारी लै-स.स.न. अध्यक्ष
- 2- श्री राम के. बहुरवणी उप प्रमागीय वनाधिकारी लै-स.स.न. सदस्य
- 3- श्री अशुल राठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी जपहरीवाल सदस्य/सचिव
- 4- श्री ससता शवत बी0डी0सी0 क्षेत्र सकमुंडा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग 119 के कि०मी० 139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ीकरण
हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 1.170 हे0 वन भूमि राजमार्ग, 2905, धुनाको
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ले-२१११७ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ले-२१११७ परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र वि. वन निवासी परियोजना के निर्माण हेतु ४१.०७६ हे० वन भूमि एचुमाको प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
वन्यजीव (पट्टाच)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले-२१११७

जनपद- पिप्री (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिप्री (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
वन्यजीव (पट्टाच)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले-२१११७

जनपद- पिप्री (गढ़वाल)

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, फोटोदार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, फोटोदार

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजेश चंद तिवारी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति थी।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-११९ के वि.नं. १३७ से १९६ (फौवार से लानपुरी) तक दो लेन चौड़ाई हेतु वन भूमि परियोजना हेतु १२१ हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग २००८, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई गामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Scanned with CamScanner

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटदार/छ-मों द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटदार परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड 3 की वैधानिक स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि धुमाके प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
कोटदार (गन्ना)
३

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटदार

जनपद- पैथी- (गन्ना)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पैथी- (गन्ना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
कोटदार (गन्ना)
३

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटदार

जनपद- पैथी- (गन्ना)

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी कोटद्वार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रयोजित भूमि का
वैयक्तिक स्थिति (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम मलय
10.609 वन भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 42.074 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय
राजमार्ग-धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोटद्वार) की दिनांक 02.10.17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश चंड
विहारी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री राकेश चंड विहारी उप-जिलाधिकारी कोटद्वार अध्यक्ष
- 2- श्री एम. के. वासुदेव उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार सदस्य
- 3- श्री सुबोध कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोटद्वार सदस्य/सचिव
- 4- श्री अभि कुलश्री बी0डी0सी0 क्षेत्र फतेहपुर-3 सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग-119 के कि.मी. 139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन
परियोजना हेतु वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग
धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटवार/ल-447 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटवार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्राकृतिक धर्म विधायिका स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
कोटवार (गढ़वाल)
३

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटवार

जनपद- पौड़ी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
कोटवार (गढ़वाल)
३

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटवार

जनपद- पौड़ी (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी कोटद्वार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत धनगिरि विधानसभा क्षेत्र (13.147 हे० आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे० सिविल एवं सोयम 10609 वन भूमि 1.170 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 42.076 हे० वन भूमि) का राष्ट्रीय राजमार्ग, धनगिरि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोटद्वार) की दिनांक 02/04/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश चंड तिवारी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री राकेश चंड तिवारी उपजिलाधिकारी

2- श्री एम.के. वद्वान उप प्रभागीय वनाधिकारी

3- श्री सुनील कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी

4- श्री शशि कुसुमा बी0डी0सी0 क्षेत्र फतेहपुर सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कि.मी. 139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 2905 हे० वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार/लेनगैंग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रयोजित वी.वै.पि.सि.पि. परियोजना के निर्माण हेतु 41.07 हे० वन भूमि पुष्पाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गठवाल)

03/04/2018

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटद्वार

जनपद- पी.पी. (गठवाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पी.पी. (गठवाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गठवाल)

03/04/2018

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटद्वार

जनपद- पी.पी. (गठवाल)

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, कोटद्वार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों की वैधमि
स्थिति 42.07.5 (42.47) हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.58 हे0 सिविल एवं सोयम, 44.95
18.609, वन भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 42.076 हे0 वन भूमि का ओके
निम्नलिखित निम्नलिखित प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोटद्वार) की दिनांक 02/04/18 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश
चन्द्र तिवारी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री राकेश चन्द्र तिवारी उप-जिलाधिकारी कोटद्वार अध्यक्ष
- 2- श्री एम.के. वसुदेव सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार सदस्य
- 3- श्री सुबोध कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोटद्वार सदस्य/सचिव
- समस्त निम्नलिखित माननीय सदस्य बी0डी0सी0 क्षेत्र आमसोड़ (कोटद्वार) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग सं०-119 से दो लेन सड़क चौड़ीकरण (कि०मी० 139
+00 से 196 तक) परियोजना हेतु हे0 वन भूमि ओके निम्नलिखित
निम्नलिखित कोटद्वार (उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~कोटद्वार~~ ⁹⁹ ~~कोटद्वार~~ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~कोटद्वार~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~रा.रा. 119~~ के ~~कोटद्वार~~ परियोजना के निर्माण हेतु ~~42.07630~~ वन भूमि ~~को. वि. कोटद्वार~~ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)
103/04/212
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ~~कोटद्वार~~
जनपद- ~~कोटी (गढ़वाल)~~

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ~~कोटी (गढ़वाल)~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)
103/04/212
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ~~कोटद्वार~~
जनपद- ~~कोटी (गढ़वाल)~~

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, कोटद्वार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग का
कुल क्षेत्रफल 13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि
8.609, वन भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 12.076 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय
राजमार्ग, युनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोटद्वार) की दिनांक 02/04/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राकेश चड्
विवाली, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री राकेश चड् विवाली उपजिलाधिकारी कोटद्वार अध्यक्ष
- 2- श्री एम.के. 9.6.2005 उप प्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार सदस्य
- 3- श्री सुकोश कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोटद्वार सदस्य/सचिव
- 4- श्री शशि कुल बी0डी0सी0 क्षेत्र कोटद्वार सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग-119 के कि.मी. 139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ीकरण
हेतु वन भूमि 12.076 परियोजना हेतु हे0 वन भूमि 12.076 राष्ट्रीय राजमार्ग
युनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.....2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करतै हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत पंचायत पंचायत पंचायत परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि पंचायत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटद्वार

जनपद- पौड़ी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटद्वार

जनपद- पौड़ी (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, कोटद्वार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कोटद्वार

उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रमाणित भूमि की
वैधानिक स्थिति (13.147 हे०) आरक्षित वन भूमि, 4.150 हे० सिविल एवं सोयम, 4019/18.609, वन भूमि 1.170 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि) का लोक
विश्वामित्र कोटद्वार प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कोटद्वार) की दिनांक 02/04/18 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राउटर
चन्द्र तिवारी, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री 1. देव शर्मा निधी उपजिलाधिकारी कोटद्वार अध्यक्ष
- 2- श्री 1. न. के. 951001 उप प्रभागीय वन अधिकारी कोटद्वार सदस्य
- 3- श्री सुशोभा कुमारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कोटद्वार सदस्य/सचिव
- 4- श्री ममता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र आमसौर/कोटद्वार सदस्य

श्रीमती ममता देवी
सदस्य प्रमाणित
ग्राम पंचायत आमसौर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग सं- 119 से दो लेन सड़क चौड़ी करण (कि०मी 139
+00 से 196 तक) परियोजना हेतु 42.076 हे० वन भूमि लोक विश्वामित्र
कोटद्वार (उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटखार (गढ़वाल) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटखार परिक्षेत्र के अन्तर्गत रा.रा. 119 चौही परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि को० नि० वि० कोटखार प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
कोटखार (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटखार

जनपद- चौही (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चौही (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
कोटखार (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- कोटखार

जनपद- चौही (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, सतपुली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सतपुली

उपखण्ड सतपुली परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 (कि.मी.) 139+00 से 196+00 से सतपुली उप-जिला (13.1.17) हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.1.15 हे0 सिविल एवं सोयम, 4495 18.609, वन भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 12.076 हे0 वन भूमि) का सतपुली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 07/12/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनित लोसर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनित लोसर उप-जिलाधिकारी सतपुली अध्यक्ष
 - 2- श्री एम. के. गुरुवारी उप-प्रमाणीय वनाधिकारी सतपुली सदस्य
 - 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
 - 4- श्री श्रीमती अ. अ. देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र सतपुली आशा देवी भागवत सदस्य/सचिव
- क्षेत्र पंचायत सदस्य-डॉ. बल विकास खण्ड एकेटर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सतपुली उप-जिला (13.1.17) से 196 (कोटद्वार) से 196 (कोटद्वार) तक के दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत परियोजना हेतु सतपुली उप-जिला (13.1.17) हे0 वन भूमि 2.170 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लेन्सगढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सतपुड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 डि. 139 से 196 कोटदर मे सतपुड़ी परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि एजेंसी को प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- लेन्सगढ़
जनपद- पैड़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पैड़ गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
लेन्सगढ़ (पड़वाल)
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- लेन्सगढ़
जनपद- पैड़

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, लेन्स 5137
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, लेन्स 5137

उपखण्ड लेन्स 5137 परिक्षेत्र के अन्तर्गत समाविष्ट भूमि की

वैधानिक स्थिति (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम मयूर

10.609 दन भूमि, 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 42.076 हे0 वन भूमि) का राष्ट्रीय

राजमार्ग हुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लेन्स 5137) की दिनांक 07/03/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनिल

तोमर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनिल तोमर उपजिलाधिकारी लेन्स 5137 अध्यक्ष
- 2- श्री एम.के. वदवाल उप प्रभागीय वनाधिकारी लेन्स 5137 सदस्य
- 3- श्री कमल कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी लेन्स 5137 सदस्य
- 4- श्री बी0डी0सी0 क्षेत्र देवी गडवाल सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय

राजमार्ग 119 के कि.मी. 139 से 196 तक (कोटद्वार से सतपुली) दो लेन

चौड़ीकरण प्रस्ताव परियोजना हेतु 42.076 हे0 वन भूमि राष्ट्रीय

29.05, हुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ले.स.११३७ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ले.स.११३७ परिक्षेत्र के अन्तर्गत प.ग.वि.१२९ की विकास योजना परियोजना के निर्माण हेतु ४२.०७६ हे० वन भूमि पुनर्वासी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
देवगढ़ (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— ले.स.११३७

जनपद— पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
देवगढ़ (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— ले.स.११३७

जनपद— पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, सतपुली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सतपुली

उपखण्ड सतपुली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 57.19 हे० आरक्षित वन भूमि, 9.15 हे० सिविल एवं सोयम 18.609 वन भूमि, 1.17 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का 21.51 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 07/3/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनित गोमर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनित गोमर उपजिलाधिकारी सतपुली अध्यक्ष
- 2- श्री एम. के. वट्टरवडी उप प्रभागीय वनाधिकारी सतपुली सदस्य
- 3- श्री ज. प्रियंका कुशवार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सतपुली सदस्य
- 4- श्री भास्करा लिंग बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के 139 के 196 (कोटद्वार से सतपुली) का दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 91.2 हे० सतपुली परियोजना हेतु 1 हे० वन भूमि 21.51 हे० राजमार्ग 119 के 139 के 196 (कोटद्वार से सतपुली) का दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~सबु~~ लेन/गुग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 27.01.2017 परिक्षेत्र के अन्तर्गत पुनर्वास परियोजना के निर्माण हेतु 42.076.है० वन भूमि पुनर्वास प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
देन/गुग (पट्टवाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- 4/8

जनपद- 4/8 0164/14

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, 4/8 0164/14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
देन/गुग (पट्टवाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- 4/8

जनपद- 4/8 0164/14

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, रा.प.पु.स.
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रा.प.पु.स.

उपखण्ड - रा.प.पु.स. परिक्षेत्र के अन्तर्गत 97/03/17

वैयक्तिक मिति (13.14.20) हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम 18.609

वन भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 42.076 हे0 वन भूमि का 21.55% 4

राजमार्ग, धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रा.प.पु.स.) की दिनांक 07/03/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनित

लोमर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनित लोमर उपजिलाधिकारी रा.प.पु.स. अध्यक्ष
- 2- श्री एम.के. 965451 उप प्रभागीय वनाधिकारी रा.प.पु.स. सदस्य
- 3- श्री कपिल कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी रा.प.पु.स. सदस्य
- 4- श्री भारत सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र रा.प.पु.स. सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि M.H.-119

ग्राम पंचायत विकास योजना 139 से 196 कोटद्वार से सतपुली 119 के लेन - 97/03/17 से 97/03/17

परियोजना हेतु 42.076 हे0 वन भूमि 21.55% 4

धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी

के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डी-एच/१ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड एच.एच.डी परिक्षेत्र के अन्तर्गत १५.११.८१.३३ से १९६ कोटवा से एच.एच.डी परियोजना के निर्माण हेतु ५२.७६ हे. वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
देवगढ़ (पटवावल)
W

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- एच.एच.डी

जनपद- डी/१/६९/८

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, डी/१/६९/८ को सूचनार्थ एवं आवश्यक का रवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
देवगढ़ (पटवावल)
W

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- एच.एच.डी

जनपद- डी/१/६९/८

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, सतपुली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सतपुली

उपखण्ड सतपुली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 97/03/17 के अन्तर्गत 18.609 हे० आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.170 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 42.076 हे० वन भूमि का 9.150 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 07/03/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 02/03/17 को उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री 19/17/07/01 उपजिलाधिकारी, सतपुली
- 2- श्री एम.के. 98/29/01 उप प्रभागीय वनाधिकारी, सतपुली
- 3- श्री कपिल कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सतपुली
- 4- श्री भारत सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र, सतपुली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि 9.150 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि का 9.150 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लेन्सडोम द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सतपुड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत NH-119 B.1/133 मे 196 कोट्टार ये सतपुड़ा परियोजना के निर्माण हेतु 42.076 हे० वन भूमि NH 119 B.1/133 मे 196 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
लेन्सडोम (पट्टवाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— सतपुड़ा

जनपद— पुष्प

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पुष्प को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
लेन्सडोम (पट्टवाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील— सतपुड़ा

जनपद— पुष्प

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, ले-सडॉन
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ले-सडॉन

उपखण्ड ले-सडॉन परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रकाशित भूमि की-
पंचायत स्थिति (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम, मलन)
18.609 वन भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 42.076 हे0 वन भूमि) का 21.57
राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ले-सडॉन) की दिनांक 07.03.17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनित
तोमर उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री विनित तोमर उपजिलाधिकारी ले-सडॉन अध्यक्ष
2- श्री एम. डे. 984005 उप प्रमाणीय वनाधिकारी एन. 1.37 सदस्य
3- श्री कपिल कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
4- श्री जमना लाल बी0डी0सी0 क्षेत्र राजमार्ग 2005 सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय
राजमार्ग -119 के कि.मी. 139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ीकरण
के वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु 21.57 हे0 वन भूमि 21.57
राजमार्ग 2005, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी
के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के
अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति
के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोन्स-डोन् द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लोन्स-डोन् परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रजापति अड्डा विद्युत् प्रकल्प परियोजना के निर्माण हेतु 12.076 हे० वन भूमि धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
देवरिया (प्रभाव)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- लोन्स-डोन्

जनपद- देवरिया (प्रभाव)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देवरिया (प्रभाव) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
देवरिया (प्रभाव)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- लोन्स-डोन्

जनपद- देवरिया (प्रभाव)

प्रा.प. 30.2
23.2

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, ले-स.ड.न.
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ले-स.ड.न.

उपखण्ड ~~धुमाकोट~~ ले-स.ड.न. परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~अनुसूचित वन भूमि~~ ~~विनि. वि. वि.~~ (13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम ~~मसवाफिल~~ 10.609, वन भूमि 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 12.876 हे0 वन भूमि) का ~~राजमार्ग~~ ~~धुमाकोट~~ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~ले-स.ड.न.~~) की दिनांक 07/05/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~विनि. वि. वि.~~ ~~लोमर~~, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~विनि. वि. वि.~~ ~~लोमर~~ उपजिलाधिकारी ~~ले-स.ड.न.~~ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~वि. वि. वि.~~ ~~लोमर~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~ले-स.ड.न.~~ सदस्य
- 3- श्री ~~वि. वि. वि.~~ ~~लोमर~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~ले-स.ड.न.~~ सदस्य/सचिव
- 4- श्री ~~वि. वि. वि.~~ ~~लोमर~~ बी0डी0सी0 क्षेत्र ~~ले-स.ड.न.~~ सदस्य

खड़ेती - 27

वि. वि. वि. द्वारा उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के कि.मी. 139 से 196 (कोटद्वार से सतपुली) तक दो लेन चौड़ी करण हेतु वन भूमि प्रस्ताव परियोजना हेतु ~~ले-स.ड.न.~~ हे0 वन भूमि ~~ले-स.ड.न.~~ ~~राजमार्ग~~ ~~धुमाकोट~~ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ले-सॉन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ले-सॉन परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रभावित भूमि विशेष स्थिति परियोजना के निर्माण हेतु 42.576 हे० वन भूमि एचुमाफोट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
देवरघोष (पट्टावाही)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले-सॉन

जनपद- प.प. (गढ़वाल)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, प.प. (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
देवरघोष (पट्टावाही)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले-सॉन

जनपद- प.प. (गढ़वाल)

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 139+00 से 196+00 (कोटद्वार-सतपुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी, लैन्सडॉन
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, लैन्सडॉन

उपखण्ड लैन्सडॉन परिक्षेत्र के अन्तर्गत पञ्चायत राजमार्ग
18.609 वै.सं. 13.147 हे0 आरक्षित वन भूमि, 9.150 हे0 सिविल एवं सोयम
वन भूमि, 1.170 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 12.076 हे0 वन भूमि का राज्य
राजमार्ग, धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत
उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैन्सडॉन) की दिनांक 07/08/17 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनित

लोमर, उप-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता
में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। उप जिलाधिकारी
वै.सं. 13.147 (पञ्चायत)

1- श्री विनित लोमर उपजिलाधिकारी लैन्सडॉन अध्यक्ष

2- श्री एम. के. व. सु. 13.147 उप प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडॉन सदस्य

3- श्री अरुण राठी सहायक समाज कल्याण अधिकारी पञ्चायत सदस्य / सचिव

4- श्री मनमोहन सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र लैन्सडॉन सदस्य

25/5/2017 उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की

कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य

वै.सं. 13.147 (कोटद्वार से सतपुली) दो लेन का चौड़ाकरण

प्रस्ताव परियोजना हेतु लैन्सडॉन हे0 वन भूमि 2.150

राजमार्ग 2405 धुनाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी

के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के

अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति

के पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ले. २१३१ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ले. २१३१ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ५३११६ परियोजना के निर्माण हेतु ५३२०७६ हे० वन भूमि ५३३००० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
देन्तडीर (पडवाव)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले. २१३१

जनपद- ५३१

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ५३१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
देन्तडीर (पडवाव)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- ले. २१३१

जनपद- ५३१